

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 2124 व 2126 / 2008 / झुंझुनूं

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त—झुंझुनूं।

.....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स न्यू कलकत्ता कनस्ट्रक्शन कम्पनी,
खेतड़ी नगर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन.के.बैद,
उप—राजकीय अभिभाषक।
श्री अलकेश शर्मा,
उप—राजकीय अभिभाषक।

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक :—26.02.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त—झुंझुनूं (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा द्वारा उक्त दोनों अपीलें उपायुक्त, (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित संयुक्त अपीलीय आदेश दिनांक 22.04.2008 के विरुद्ध पेश की गयी हैं, जो क्रमशः अपील संख्या 237 व 326 / आरवेट / झुंझुनूं / 2007–08 के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत पारित आदेश जिसमें कर मुक्ति प्रमाण पत्र 3 प्रतिशत की दर के स्थान पर 1.5 प्रतिशत की दर से जारी करने संबंधी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने संबंधी आदेश दिनांक 14.11.2007 को अपीलीय निरस्त किये जाने को निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित किया गया है।

चूंकि दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दू सादर्श्य हैं। अतः दोनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही हैं।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। अपीलार्थी व्यवहारी को मैसर्स लारसन एण्ड टूब्रो लि. द्वारा कार्य संविदा क्रमांक 161 दिनांक 20.04.2006 द्वारा “chemical lining work at various level and height at H.Z. Ltd., phase II job site Chittorgarh रु.7,93,82,280/- व कार्य संविदा क्रमांक.....दिनांक 01.06.2007 द्वारा रूपये 1,20,17,205/- के अवार्ड रु.7,93,82,280/- “chemical lining work at various level and height at

अपील संख्या — 2124 व 2126 / 2008 / झुंझुनूं

H.Z. Ltd., phase II job site Chittorgarh.” के लिये मुक्ति प्रमाण पत्र (Exemption Certificate) प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रपत्र WT-1 निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.08.2006 के तहत मुक्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 2/68 व 9/16 दिनांक 02.01.2008 को जारी करते हुए 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क निर्धारित किये गये। उक्त जारी कर मुक्त प्रमाण पत्रों को संशोधित करने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 33 के तहत परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्रों को 1.5 प्रतिशत की दर से जारी करने हेतु प्रार्थना की गयी। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना को अस्वीकार कर, प्राप्त कार्य को “work relating to building” नहीं होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 33 के तहत आदेश दिनांक 14.11.2007 पारित किये गये। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथत होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन किया। विशिष्ट रूप से प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्राप्त कार्यादेशों जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1-Chemical resistance lining and flooring providing and applying A.R. Brick lining type BR/75/KS/PH consisting of A.R. Bricks 75 thick with 10 mm potassium silicate cement bedding and 6mm phenoli cement pointing as per technical specification section 13 including all tools, tackles, scaffolding and labour all complete at all levels and depth/heights including labour, materials, P&M tools and tackles and all consumables charges.

Flooring Bitumastic 71501 SQ.

2-Chemical resistance lining and flooring providing and applying A.R. Brick lining type BR/38/KS/PH consisting of A.R. Bricks 38 thick with 10 mm potassium silicate cement bedding and 6mm phenoli cement pointing as per technical

अपील संख्या — 2124 व 2126 / 2008 / झुंझुनूं

specification section 13 including all tools, tackles, scaffolding and labour all complete at all levels and depth/heights including labour, materials, P&M tools and tackles and all consumables charges.

Flooring Bitumastic 71501 SQ.

उक्त की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि प्राप्त कार्यादेश औद्योगिक उपयोग हेतु कार्य है जो बिल्डिंग बनने के उपरांत इसको मजबूती प्रदान करने हेतु lining and bedding and 6mm Phenolic cement Pointing की कार्य संविदा है। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने उक्त प्राप्त कार्यादेश को “relating to building” की श्रेणी में नहीं होना अवधारित कर, उचित दर से कर मुक्ति प्रमाण जारी किये गये थे जिन्हें अपीलीय अधिकारी द्वारा 1.5 प्रतिशत की दर से जारी करने संबंधी पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः पारित अपीलीय आदेश दिनांक 22.04.2008 को अपास्त करने की प्रार्थना कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषकगण ने उपस्थित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा लार्सन एण्ड ट्रब्रो से विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कार्य संविदा आदेश प्राप्त कर, इस संबंध में कर के स्थान पर मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु आवेदन किया गया था तथा विद्वान निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में अंकित तथ्यों की सत्यता की जांच किये बिना कर के स्थान पर मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु “मुक्ति प्रमाण पत्र” 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क व सरचार्ज देय होना अवधारित कर, जारी किये गये जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं थे। अग्रिम कथन किया कि “अवार्डर” द्वारा उक्त मुक्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अपीलार्थी व्यवहारी को कार्य संविदा निष्पादन के लिये भुगतान करने पर, 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क व सरचार्ज की स्त्रोत पर कटौती कर, राजकोष में जमा करायी गयी है। तर्क दिया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा भिन्न राय अवधारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त किये गये कार्यादेश को बिल्डिंग कार्य से अन्यथा कार्य होना मानकर जारी किये गये जो अविधिक थे। कथन किया प्राप्त कार्यादेशों में स्पष्ट रूप से फ्लोरिंग हेतु कार्य अंकित है फिर भी अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त कार्यों को औद्योगिक उपयोग हेतु कार्य होना मानकर, 3 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये जिसके संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से 1.5 प्रतिशत की कर दर से कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने संबंधी आदेश पारित किये गये हैं। अपने कथन के

अपील संख्या - 2124 व 2126 / 2008 / झुंझुनूं

समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित न्यायिक दृष्टांतों को प्रोद्धरित कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

- (i) वा.क.आ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर-प्रथम, जयपुर बनाम् मैसर्स ऐनार इण्डस्ट्रीज, हैदराबाद, 8 टैक्स अपडेट 31 (आर.टी.बी.)
- (ii) सहायक आयुक्त, कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, अवलर बनाम् मैसर्स यूनिटेक लि. अलवर, 31 टैक्स अपडेट 68 (आर.टी.बी.)
- (iii) मैसर्स इलैक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, अलवर बनाम् सहायक आयुक्त, जयपुर 16 टैक्स अपडेट 43 (आर.टी.बी.)
- (iv) मैसर्स राकेश एन्टरप्राईजेज, जयपुर बनाम् वा.क.आ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, संभाग-द्वितीय, जयपुर अपील संख्या 766, 683 व 684 / 2010 / जयपुर निर्णय दिनांक 23.02.2012
- (v) वा.क.आ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, अजमेर बनाम् मैसर्स साईबाबा इन्फाकोन प्रा.लि., व्यावर 9 वैट रिपोर्टर (आर.टी.बी.)
- (vi) मैसर्स दुर्गा कनस्ट्रक्शन जयपुर बनाम् वा.क.आ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, संभाग-द्वितीय, जयपुर अपील संख्या 1902 / 2010 / जयपुर निर्णय दिनांक 12.02.2014 (आर.टी.बी.)

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया एवम् माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि का सम्मान अध्ययन किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अवलोकन से विदित होता है कि इसमें अंकित सूची के क्रम संख्या 1 में निम्न प्रकार अंकित किया गया है :-


क्रम संख्या 1 – “Works Contracts relating to buildings ...” - 1.50%

यहाँ भवनों से संबंधित (relating to building) शब्दावली अतिमहत्वपूर्ण है जिसकी व्याख्या माननीय न्यायालयों द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में की गयी है तथा भवनों व सड़कों से संबंधित शब्दावली की परिधि विस्तृत होना अवधारित किया गया है। कार्य संविदा से संबंधित “जी-शिड्यूल्स” के अध्ययन से विदित होता है कि कार्य संविदा निष्पादक द्वारा आलोच्य कार्यादेशों से प्राप्त उक्त समस्त कार्य भवनों से ही संबंधित है। जैसाकि माननीय कर बोर्ड के समन्वयपीठ (खण्डपीठ) द्वारा निर्णय दिनांक 23.02.2012 अपील संख्या 766, 683 व 684 / 2010 / जयपुर के प्रकरणों में विधि प्रतिपादित की गयी है तथा माननीय खण्डपीठ के उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों से अपीलार्थी

अपील संख्या — 2124 व 2126 / 2008 / झुंझुनूं

व्यवहारी का हस्तगत प्रकरण आच्छादित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

7. परिणामतः, अपीलें अस्वीकार की गयी।
8. निर्णय प्रसारित किया गया।


26.2.2015
(मदन लाल)
सदस्य


(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष